प्रगति प्रतिवेदन

2019–20

(दिसम्बर, 2019 तक)

RIICO

GROW WITH RAJASTHAN

RIICO

GROW WITH RAJASTHAN

प्रगति प्रतिवेदन

2019–20

(दिसम्बर, 2019 तक)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	1
	विशेष पहल एवं उपलब्धियां	2
	संगठन सरंचना	3
1	रीको के प्रमुख उद्देश्य	4
2	वार्षिक लेखें एवं कार्य परिणाम	4
3	औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	4
4	भू आवंटन एवं रीको भू–निपटान नियम, 1979 : नीतिगत निर्णय, रियायतें व सरलीकरण (1 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक)	4
5	सावधि ऋण	4
6	केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं	5
	(i) असाईड योजना	5
	(ii) मिनी ग्रोथ सेन्टर्स	5
7	रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क/जोन	5
	(i) नीमराना में जापानी पार्क	5
	(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड) का विकास	5
8	रीको की अन्य विशेष योजनाएं	5
	(i) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण संरचना	5
	(ii) रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स परियोजना पर आधारित एकीकृत औद्योगिक जोन की स्थापना	5
	(iii) अनुसूचित जाति उपयोजना	5
	(v) क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011–12	6
	(vi) औद्योगिक सेक्टर्स को बढ़ावा : स्टोनमार्ट	6
9	पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ	6
10	मानव संसाधन विकास	6
	परिशिष्ट	
	आधारभूत सुविधाएं (सारांश) (परिशिष्ट–1)	6
	सावधि ऋण (परिशिष्ट–2)	6

कार्यकारी सारांश

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है। रीको के प्रमुख उद्देश्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना एवं सावधि ऋण प्रदान करना है। औद्योगिक व्यापार एवं विनियोजन संवर्द्धन गतिविधियों को बढ़ावा देना रीको की प्राथमिकता है।

राज्य में रीको द्वारा 348 औद्योगिक क्षेत्र संचालित किये जा रहे हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दिसम्बर, 2019 तक 84441.16 एकड़ भूमि अवाप्त एवं 49204.55 एकड़ भूमि विकसित की गई है। औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए रीको द्वारा इस आलोच्य अवधि तक 55605 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं जिनमें 40014 इकाइयां उत्पादनरत हैं। रीको की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2019 तक सावधि ऋण के रूप में 3686.76 करोड़ रू. स्वीकृत एवं 2670.98 करोड़ रू. वितरित किये जा चुके हैं।

राज्य में औद्योगीकरण की गति को बनाये रखने के लिये वर्ष 2018-19 में 1153.67 एकड़ भूमि विकसित की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 285 भूखण्ड तथा वर्ष 2019-20 के दौरान दिसम्बर, 2019 तक 365 भूखण्ड आवंटित किये गये। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रख-रखाव एवं भूमि अधिग्रहण आदि कार्यो पर वर्ष 2018-19 में 366.01 करोड़ रू. तथा वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक 159.26 करोड़ रू. व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 2018-19 में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों से 574.43 करोड़ रू. तथा वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक 489.76 करोड़ रू. की वसूली की गई ।

रीको द्वारा वर्ष 2018-19 में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 165.90 करोड़ रू. के सावधि ऋण स्वीकृत किये गये तथा 191.16 करोड़ रू. की ऋण वसूली की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान दिसम्बर, 2019 तक 18.84 करोड़ रू. के ऋण स्वीकृत तथा 92.80 करोड़ रू. की ऋण वसूली की गई है।

नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ-साथ वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार पर बल दिया जा रहा है। साथ ही औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु रीको भू-निपटान नियमों का सरलीकरण किया गया है। उद्योगों को भूमि की आवश्यकतानुसार तत्काल उपलब्धता हेतु दिसम्बर, 2019 तक 9296.846 हैक्टेयर भूमि का लैंड बैंक बनाया जा चुका है, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सके।

विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना

रीको द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्त्रोत को बढ़ावा देने का नीतिगत निर्णय लिया गया। इस क्रम में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रोड़ लाईट नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं पारम्परिक (HPSV) रोडलाईट को बदल कर ऊर्जादक्ष एलईडी लाईट के कार्य किये गये। इस क्रम में माह दिसम्बर, 2019 तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 34,175 कनवेन्सनल लाईटों को एलईडी लाईटों में परिवर्तित करने एवं नई लाईटें लगाने का कार्य किया जा चुका है साथ ही 3541 एलईडी लाईटें लगाने एवं परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है।

भूमि आवंटन में पारदर्शिता

रीको द्वारा राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिमाह e-auction किया जा रहा है। इसी क्रम में भूखण्ड संबंधी प्राप्तियाँ पेमेंट गेटवे (Payment Gateway) के माध्यम से प्रारंभ की जा चुकी है।

औद्योगिक भवन विनियमों का सरलीकरण

निगम द्वारा लागू किये गये ''रीको भवन विनियम – 2018'' के अंतर्गत औद्योगिक भवन निर्माण के नियमों को सुसंगत बनाया जा कर सरलीकरण किया गया।

पर्यावरण संरक्षण

राज्य में औद्योगिक एवं पर्यावरण संरक्षण के मध्य सामंजस्य बनाये रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई। रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में हानिकारक ठोस अपशिष्ट को रिसाईक्लिंग करने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिए भूखण्ड़ आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों को स्वच्छ बनाये रखने के उददेश्य से अपशिष्ट फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु रीको लैण्ड डिस्पोजल रूल्स में आवश्यक नियमों का समावेश किया गया है।

संगठन संरचना

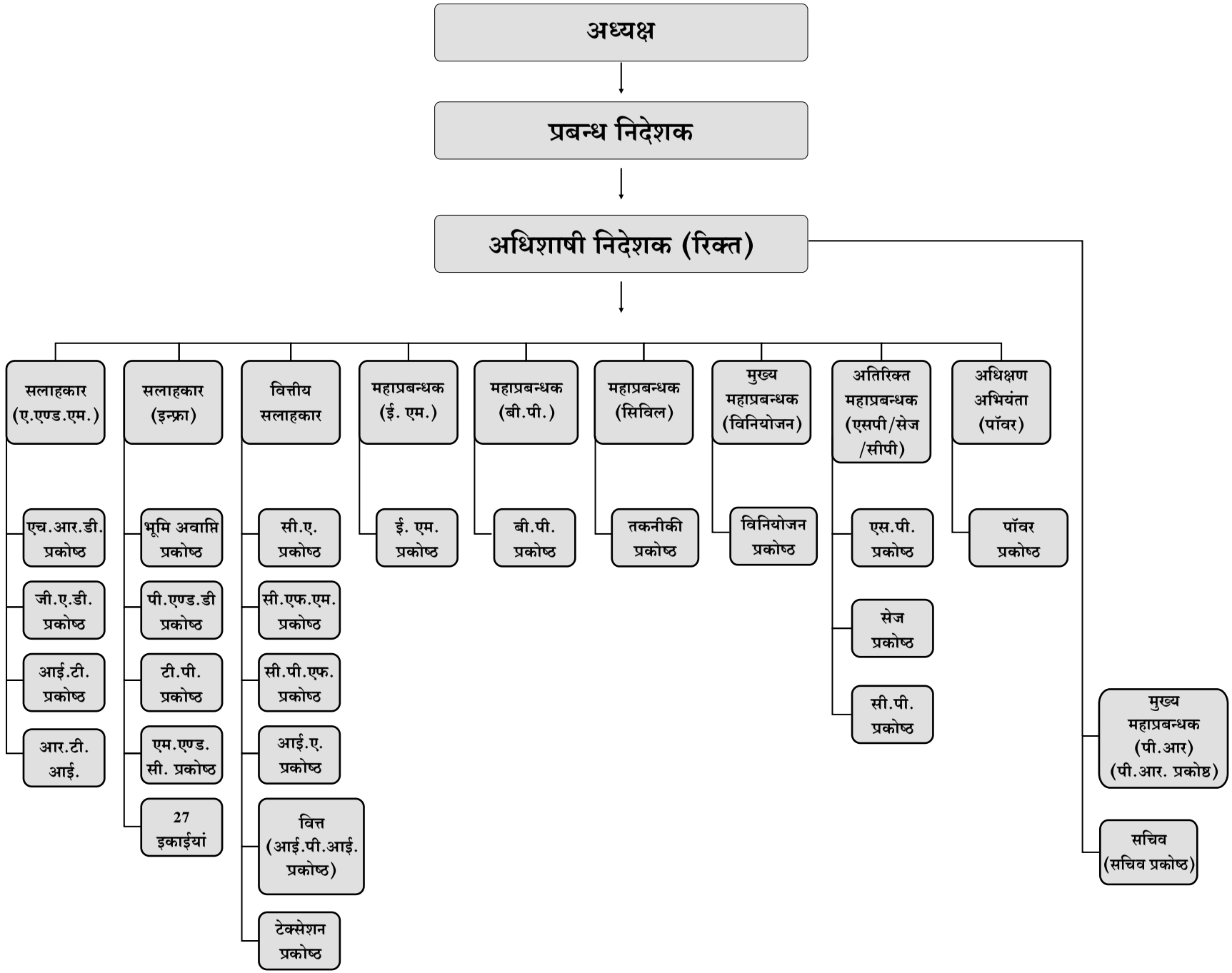
अध्यक्ष
प्रबन्ध निदेशक
अधिशाषी निदेशक (रिक्त)
सलाहकार (ए.एण्ड.एम.)
सलाहकार (इन्फ्रा)
वित्तीय सलाहकार
महाप्रबन्धक (ई. एम.)
महाप्रबन्धक (बी.पी.)
महाप्रबन्धक (सिविल)
मुख्य महाप्रबन्धक (विनियोजन)
अतिरिक्त महाप्रबन्धक (एसपी/सेज /सीपी)
अधिक्षण अभियंता (पॉवर)
एच.आर.डी. प्रकोष्ठ
जी.ए.डी. प्रकोष्ठ
आई.टी. प्रकोष्ठ
आर.टी. आई.
भूमि अवाप्ति प्रकोष्ठ
पी.एण्ड.डी प्रकोष्ठ
टी.पी. प्रकोष्ठ
एम.एण्ड. सी. प्रकोष्ठ
27 इकाईयां
सी.ए. प्रकोष्ठ
सी.एफ.एम. प्रकोष्ठ
सी.पी.एफ. प्रकोष्ठ
आई.ए. प्रकोष्ठ
वित्त (आई.पी.आई. प्रकोष्ठ)
टेक्सेशन प्रकोष्ठ
ई. एम. प्रकोष्ठ
बी.पी. प्रकोष्ठ
तकनीकी प्रकोष्ठ
विनियोजन प्रकोष्ठ
एस.पी. प्रकोष्ठ
सेज प्रकोष्ठ
सी.पी. प्रकोष्ठ
पॉवर प्रकोष्ठ
मुख्य महाप्रबन्धक (पी.आर) (पी.आर. प्रकोष्ठ)
सचिव (सचिव प्रकोष्ठ)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से अपने उद्देश्यानुसार राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है। रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर उनमें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करता है, साथ ही उद्योगों व अन्य परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करता है। रीको उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएं/सेवाएं भी प्रदान करता है। रीको राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी तत्पर है।

1. रीको के प्रमुख उद्देश्य :

(i) आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना।

(ii) सावधि ऋण प्रदान करना।

(iii) औद्योगिक, व्यापार एवं विनियोजन संवर्द्धन गतिविधियां।

2. वार्षिक लेखे एवं कार्य परिणाम :

वित्तीय वर्ष 2017–18 में रीको को 142.94 करोड रुपये का एवं 2018–19 में 70.51 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार को 14.10 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में देय है।

3. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास :

राज्य में रीको द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों की कुल संख्या दिसम्बर, 2019 तक 348 है। रीको द्वारा वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च कोटि की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर बल दिया जा रहा है।

राज्य में औद्योगीकरण की गति को बनाये रखने के लिये वर्ष 2018–19 में 1153.67 एकड़ एवं वर्ष 2019–20 माह दिसम्बर, 2019 तक 805.27 एकड़ भूमि विकसित की गई। वर्ष 2018–19 के दौरान रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 285 भूखण्ड एवं वर्ष 2019–20 के दौरान दिसम्बर, 2019 तक 365 भूखण्ड आवंटित किये गये। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रख–रखाव एवं भूमि अधिग्रहण आदि कार्यों पर वर्ष 2018–19 में 366.01 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 159.26 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में औद्योगिक क्षेत्रों से 574.43 करोड़ रुपये एवं 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 489.76 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ रही हैं। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है।

4. भू–आवंटन एवं रीको भू–निपटान नियम, 1979 : नीतिगत निर्णय, रियायतें व सरलीकरण (1 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक)

- निगम नियमानुसार 500 वर्गमीटर एवं उससे बडे भूखण्डों पर आवंटी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना आवश्यक है एवं निर्माण नहीं किये जाने की स्थिति में पेनल्टी राशि देय होती है। उक्त प्रावधान में आंशिक छूट देने का नीतिगत निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार आवंटी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिगं स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करने पर आवंटियों से पेनल्टी राशि वसूल किये बिना ही वित्तीय संस्थानों द्वारा आवंटियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु रीको द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया जाकर आदेश दिनांक 07.03.2019 को जारी।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सरस डेयरी बूथ स्थापित किये जाने से संबंधित घोषणा के परिपेक्ष में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में 6'x6' भूमि पर डेयरी बूथ की स्थापना हेतु रेन्ट कम लाईसेंस बेसिस पर भूमि उपलब्ध करवाये जाने का नीतिगत निर्णय लिया जाकर आदेश दिनांक 09.09.2019 को जारी।
- रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता बनाये रखने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटी उद्यमियों द्वारा सड़क सीमा में कचरा/औद्योगिक अपशिष्ट डाले जाने पर रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियमों में शास्ती लगाये जाने का नीतिगत निर्णय लिया जाकर आदेश दिनांक 06.09.2019 को जारी।

5. सावधि ऋण :

औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं को सावधि ऋण की स्वीकृति तथा वितरण रीको की महत्वपूर्ण गतिविधि है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 165.90 करोड़ रुपये के सावधि ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसी अवधि में सावधि ऋण के रूप में 68.95 करोड़ रुपये वितरित किये गये एवं 191.16 करोड़ रुपये की वसूली रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक 18.84 करोड़ रुपये के सावधि ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी अवधि में 65.15 करोड़ रुपये के सावधि ऋण वितरित किए जाकर 92.80 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है।

रीको राज्य में औद्योगिक विकास हेतु लघु, मध्यम एवं बृहद श्रेणी की इकाइयों की स्थापना हेतु सावधि ऋण प्रदान करता है, साथ ही उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएं/सेवाएं भी प्रदान करता हैं।

6. केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं :

(i) **असाईड योजना :** इस योजना के अन्तर्गत निर्यात संवर्द्धन आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता से 30 परियोजनाओं पर 377.97 करोड़ रुपये का व्यय कर क्रियान्वयन किया जा चुका है।

(ii) **मिनी ग्रोथ सेन्टर्स :** ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को एकीकृत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत लगभग पाँच-पाँच करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 9 लघु विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2019 तक कुल 45.92 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

भारत सरकार की मॉडिफाईड योजना के अन्तर्गत वर्तमान में ग्यारह अतिरिक्त परियोजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनकी कुल लागत 86.96 करोड़ रुपये है। इनके लिए कुल अनुदान राशि 33.74 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2019 तक 23.65 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है एवं 60.68 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

इस प्रकार कुल 20 लघु विकास केन्द्रों पर दिसम्बर, 2019 तक कुल 106.60 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

7. रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क/जोन :

(i) नीमराना में जापानी पार्क: राज्य में ऑटोमोटिव व अन्य सेक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी व जापानी निवेश हेतु रीको द्वारा जापान एक्सर्टनल ट्रेड ऑरगेनाईजेशन (जेट्रो) के साथ 2006 में एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था। इस एम.ओ.यू. के तहत नीमराना में 1161.47 एकड़ भूमि में एक जापानी जोन विकसित किया गया है। इस जोन मे 52 कम्पनियों को भूमि आवंटित की गई है। जिनमें से 45 कम्पनियों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इन कम्पनियों से 5885 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है व 11690 से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें। इस जोन में बहुराष्ट्रीय जापानी कम्पनियों जैसे निसिन ब्रेक, डाईकिन, यूनीचार्म, मित्सुई आदि ने अपनी इकाईयां स्थापित की है। भारत में यह अपनी तरह का पहला नवाचार है। इस जोन की सफलता को देखते हुए रीको द्वारा 533.56 एकड़ भूमि में घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में दूसरा जापानी जोन स्थापित किया गया है।

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड) का विकास :

(अ) वर्तमान में राज्य में जैम्स ज्वैलरी उत्पाद आधारित दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) सरकारी क्षेत्र में है, जो कि सीतापुरा, जयपुर में स्थापित हैं। इन क्षेत्रों से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1537.15 करोड़ रुपये का एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक 1112.65 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है तथा करीब 11094 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

(ब) महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. परियोजना (बहुउत्पाद सेज़ एवं डीटीए) में करीब 4461 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1552.00 करोड़ रुपये का एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक 1281.46 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है व 39669 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

8. रीको की अन्य विशेष योजनाएं :

(i) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण संरचना :

नीमराना, अलवर में डाईकिन जापानी इन्स्टीट्यूट ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग एक्सीलेंस (JIM) की स्थापना के लिये रीको, डाईकिन एअरकंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. एवं डाईकिन एजुकेशन एण्ड स्किल डवलपमेंट सोसायटी (SPV) द्वारा दिनांक 19.02.2018 को कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

उपरोक्त कौशल विकास केन्द्र के लिए रीको द्वारा SPV को नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के जापानी जोन में 20,005 वर्ग मी. भूमि उपलब्ध कराई गई है। डाईकिन एजुकेशन एण्ड स्किल डवलपमेंट सोसायटी SPV द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसमें डाईकिन के सहयोग से ना सिर्फ एयर कंडीशनिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, अंग्रेजी, गणित, सॉट स्किल इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जायेगा, अपितु 5S गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, काइजेन आदि जापानी उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

(ii) रिफाईनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स परियोजना पर आधारित एकीकृत औद्योगिक जोन की स्थापना:

पचपदरा बाड़मेर में स्थापित हो रही रिफाईनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स परियोजना पर आधारित उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए रीको द्वारा एकीकृत औद्योगिक जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। रीको द्वारा एकीकृत औद्योगिक जोन की ड्रॉट अवधारणा योजना तैयार कर ली गई है।

एकीकृत औद्योगिक जोन हेतु प्राथमिक रूप से बाड़मेर जिले के ग्राम रामनगर (थोब) में 2609 बीघा भूमि चिन्हित की गई है, जिसके आवंटन के लिये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रिफाईनरी स्थल से लगभग 20 किमी की दूरी पर करीब 1500 बीघा भूमि ग्राम बोरावास, कलावा, तहसील पचपदरा में रीको के पास उपलबध है।

(iii) अनुसूचित जाति उपयोजना :

रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड (अधिकतम 2000 व.मी. तक) आवंटित किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 में 202.06 लाख रुपये की एवं वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर, 2019 तक 44.70 लाख रुपये की छूट प्रदान की है।

(iv) क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011-12:

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों यथा करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बारां तथा प्रतापगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों पर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना ''क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन

योजना (पिछड़े जिले)'' लागू है। इस योजनान्तर्गत उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2019 तक 96 उद्यमियों को 598.04 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(v) औद्योगिक सेक्टर्स को बढ़ावा :

स्टोनमार्ट: स्टोनमार्ट का 10 वाँ संस्करण ''इण्डिया स्टोनमार्ट – 2019'' 31 जनवरी से 03 फरवरी, 2019 के मध्य जयपुर में आयोजित किया गया। 4 दिवसीय पत्थर उद्योग आधारित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में देश–विदेश के एक्जिबिटर्स (प्रदर्शक), ट्रेड विजिटर्स तथा विदेशी क्रेता–विक्रेता ने भाग लिया। साथ ही जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का भी सफल आयोजन रहा।

इण्डिया स्टोनमार्ट के 11वें संस्करण ''इण्डिया स्टोनमार्ट – 2021'' 4 फरवरी से 07 फरवरी, 2021 के मध्य जयपुर में आयोजित किया जायेगा। इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी बड़ी संख्या में देश–विदेश के उद्यमियों, एवं ट्रेड विजिटर्स के भाग लेने की संभावना है।

9. पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ :

निगम द्वारा राज्य में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक चार औद्योगिक क्षेत्रों की 988 एकड़ भूमि यथा फतेहपुर समेलियां (भीलवाड़ा), रानपुर (कोटा), बग्गड (राजसमंद) एवं धनुवा (जैसलमेर) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है।

10. मानव संसाधन विकास :

(i) रीको में स्वीकृत 1161 पदों के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2019 तक 707 कार्मिक कार्यरत हैं एवं 454 पद रिक्त हैं।

(ii) रीको ने वर्ष 2018–19 में 4 कार्मिकों एवं वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 2 कार्मिकों को अनुकम्पा नियुक्तियाँ प्रदान की हैं।

(iii) रीको ने वर्ष 2019–20 के दौरान पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर माह दिसम्बर, 2019 तक विभिन्न सवर्गों में 129 अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की हैं।

परिशिष्ट–1

आधारभूत सुविधाएं (सारांश)

क्र.सं.	विवरण	प्रगति 2017–18	प्रगति 2018–19	प्रगति 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक)
	1	**2**	**3**	**4**
1.	विकसित भूमि (एकड़)	2101.77	1153.67	805.27
2.	आवंटित भूखण्ड (संख्या)	281	285	365
3.	औद्योगिक क्षेत्रों पर खर्चा (राशि करोड़ रुपयों में)	386.95	366.01	159.26
4.	औद्योगिक क्षेत्रों से वसूली (राशि करोड़ रुपयों में)	641.36	574.43	489.76

परिशिष्ट–2

सावधि ऋण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	प्रगति 2017–18	प्रगति 2018–19	प्रगति 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)
	1	**2**	**3**	**4**
1.	स्वीकृत	67.65	165.90	18.84
2.	वितरित	56.86	68.95	65.15
3.	वसूली	209.64	191.16	92.80

RIICO

GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

फोन : +91 141 4593201-205, 2227751 ● फैक्सः +91 141 4593210

ई-मेल : www.riico.co.in ● वेबसाइट : www.riico.co.in